

## Budget Announcements 2015-16

Panchayati Raj Department

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
1	165.0.0( 2015-2016 ) नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों हेतु भवन की आवश्यकता को देखते हुए जिन ग्राम पंचायतों में कोई उपयुक्त खाली सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, उनमें नवीन ग्राम पंचायत भवन बनाये जायेंगे।	राज्य में 723 नवीन ग्राम पंचायतें बनी हैं जिसमें 8 ग्राम पंचायतों हेतु पुराने भवन उपलब्ध हो चुके हैं। दिनांक 22.07.2016 को नई ग्राम पंचायत के भवनों के निर्माण हेतु महानरेगा योजनान्तर्गत राशि 30 लाख की स्वीकृतियां जारी करने के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। 645 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन हो चुकी है जिसमें से 630 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुई हैं। 577 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं जिसमें से 111 कार्य पूर्ण हो गये हैं। भूमि आवंटन करने हेतु जिला कलक्टर को लगातार अनुरोध किया जा रहा है।	Task Started, but not Completed
2	165.1.0( 2015-2016 ) पंचायत समितियों के नवीन भवनों का निर्माण 94 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित ।	राज्य में 47 नवीन पंचायत समितियां बनी हैं जिसमें से 1 पंचायत समिति समदडी (बाडमेर) में पूर्व से भवन उपलब्ध है जिनका उपयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा नवीन पंचायत समितियों के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम किश्त की राशि 43 करोड एवं वर्ष 2017-18 में द्वितीय किश्त की राशि 25.00 करोड हस्तान्तरित की जा चुकी है। 46 नवीन पंचायत समितियों के भवन हेतु भूमि का आवंटन हो चुका है। 38 कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर 33 कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं।	Task Started, but not Completed
3	166.0.0 ( 2015-16 ) राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित की गई है। इन नवीन प्रावधानों का सकारात्मक परिणाम आप सभी के सामने है। जहां वर्ष 2010 में 10वीं पास से अधिक योग्यता वाले जिला परिषद सदस्यों की संख्या 33 प्रतिशत, पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 18 प्रतिशत तथा 8वीं पास सरपंचों की संख्या 22 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2015	-	Action Not Required

## Budget Announcements 2015-16

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
	में इसकी संख्या क्रमशः 70 प्रतिशत, 54 प्रतिशत व 48 प्रतिशत हो गई है। अर्थात् शिक्षित सदस्यों की संख्या में दुगुनी से तीगुनी वृद्धि हुई है। आशा है कि नव-निर्वाचित जनप्रतिनिधि गण अपने कौशल, ज्ञान तथा ऊर्जा से पंचायतराज संस्थाओं को और सशक्त करने में सफल होंगे।		
4	166.1.0( 2015-2016 ) नये चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पंचायतराज संबंधी नियमों एवं कार्यों की जानकारी देने के लिए आगामी वर्ष से व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।	राज्य स्तर पर सभी जिला प्रमुख/प्रधान का प्रशिक्षण आयोजित करवाया जा चुका है एवं जिला स्तर पर सभी सरपंचगणों का प्रशिक्षण माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2015 में आयोजित करवाये जा चुके हैं।	Implemented
5	167.0.0( 2015-2016 ) राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थानों को राज्यस्तरीय अवार्ड दिये जाने की मैं घोषणा । इन संस्थानों का चयन, स्वयं के संसाधनों में वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान में उल्लेखनीय कार्य तथा बाल विवाह की रोकथाम हेतु उठाये कदमों पर आधारित होगा। इस संबंध में जारी की जाने वाली योजना के अंतर्गत यह पुरस्कार प्रदेश की प्रथम तीन जिला परिषदों को एवं प्रत्येक संभाग में प्रथम तीन पंचायत समितियों तथा हर जिले में प्रथम तीन ग्राम पंचायतों को दिया जायेगा। प्रथम तीन जिला परिषदों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि क्रमशः 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये एवं 10 लाख रुपये होगी। इसी प्रकार प्रत्येक संभाग में प्रथम तीन पंचायत समितियों को देय राशि क्रमशः 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये एवं 3 लाख रुपये होगी। हर जिले में प्रथम ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपये, द्वितीय को 2	विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड निर्धारण, संकेतांक तथा प्रश्नावली तैयार कर जारी कर दिये गये हैं। राज्य स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (SPAAC) का गठन शासन सचिव की अध्यक्षता में कर लिया गया है। राज्य पंचायत पुरस्कार स्कीम (SPAS) हेतु पंचायती राज संस्थाओं हेतु 374.00 लाख रूपयों का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया जा चुका है। राज्य स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 04.01.2016 को IGPRS जयपुर में किया जा चुका है । जिलों में समस्त जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों से वित्तीय वर्ष 2015-16 की उपलब्धि अनुसार प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जिसके आधार पर 3 जिला परिषद, 21 पंचायत समितियां एवं 99 ग्राम पंचायतों का चयन कर दिनांक 18.07.2016 को SPAAC की आयोजित बैठक में अनुमोदन करा लिया है। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिये	Implemented

## Budget Announcements 2015-16

Sr. No.	Announcement Para / Description	Action taken by Department	Status
	लाख रुपये तथा तृतीय को 1 लाख रुपये की राशि देय होगी।	जाने की कार्यवाही हेतु राशि 374.00 लाख वित्त विभाग द्वारा पंचायत राज के पी डी खाते में हस्तान्तरण कर दिये गये है। विभाग द्वारा उक्त राशि के डिमांड डॉफ्ट संबंधित पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं को व्यक्तिशः उपलब्ध / वितरित किये जा चुके है।	
6	168.0.0 ( 2015-16 ) आगामी वर्ष पंचायतीराज संस्थानों को 2 हजार 73 करोड़ 75 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान ।	पंचायतीराज संस्थानों को पांचवे राज्यह वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि 2 हजार 73 करोड़ 75 लाख रुपये के अनुदान का बजट प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया जा चुका है।	Implemented
7	168.1.0 ( 2015-16 ) ग्राम पंचायतों को 1 हजार 471 करोड़ रुपये का अनुदान भी उपलब्ध करवाया जायेगा।	ग्राम पंचायतों को 14वे केन्द्रा वित्त आयोग के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि 1 हजार 471 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया जा चुका है।	Implemented
8	84.2.0( 2015-2016 ) वर्ष 2014-15 में बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुनाद व झालावाड़ जिले में चंबल की सहायक आहू के बेसिन में 263 minor irrigation tanks के catchment क्षेत्रफल 1 लाख 33 हजार 491 हेक्टेयर में four water concept के तहत कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2015-16 में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जलग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराये जा रहे four water concept आधारित कार्य भी Rajasthan River Basin Authority की देखरेख में कराये जायेंगे।	फॉर वाटर्स कन्सेप्ट बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बारां, बूंदी, एवं झालावाड़ जिलो में 247 माइक्रो स्टोरेज टैंको की गैर वन भूमि एवं वन भूमि में केचमेंट उपचार के कार्यों पर मार्च, 2016 तक राज्य आयोजना मद से राशि रु 25.00 करोड जारी की गई। जिसमें से 22.92 करोड राशि व्यय कर इस वित्तीय वर्ष के कार्य पूर्ण कर लिये गये है।  इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराये जा रहे फॉर वाटर कान्सेप्ट आधारित कार्य भी राजस्थान रीवर बेसिन अथॉरिटी की देखरेख में कराये गये है।	Implemented